



रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल
Railway Recruitment Cell, West Central Railway
 आर.बी.-IV, 290, स्टेशन रोड, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर-482001
 RB- IV, 290, Station Road, South Civil lines, Jabalpur-482001
 Website:-www.wcr.indianrailways.gov.in



अधिसूचना संख्या 02/2021एक्ट अप्रेंटिश

दिनांक: 06/10/2021

अधिसूचना

विषय: वर्ष 2021-2022 के लिए पश्चिम मध्य रेलवे पर अप्रेंटिश अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुओं का इंगेजमेंट।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि और समय	11/10/2021, 18:00 बजे से
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और समय	10/11/2021, 23:59 बजे तक

पश्चिम मध्य रेलवे के इकाइयों/कारखानों में 2226 स्लॉट के लिए नामित ट्रेडों में अप्रेंटिश अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षुओं के इंगेजमेंट के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए और इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए कि पश्चिम मध्य रेलवे इकाइयों के लिए अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुओं के इंगेजमेंट के लिए यह एक केंद्रीकृत अधिसूचना है तथा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेलवे (रे.भ.प्र./पमरे) उम्मीदवारों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को प्रोसेस करने एवं उनकी योग्यता सूची तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी है। आवेदन जमा करने के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित इकाइयों और ट्रेडों में इंगेज किया जाएगा:

2.1 मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर मंडल

Sr. No	Trade	Number of Slots/Seats						PwBD				Ex. SM
		UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	LD	VI	HI	MD	
1	Diesel Mechanic	13	4	2	8	3	30	1	1	0	0	1
2	Electrician	68	23	12	42	15	160	2	2	2	2	5
3	Welder(Gas and Electric)	13	4	2	8	3	30	1	0	1	0	1
4	Machinist	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
5	Fitter	59	21	10	37	13	140	2	2	2	1	4
6	Turner	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0

7	Wireman	8	2	1	3	1	15	0	0	0	0	1
8	Mason(Building & Constructor)	8	2	1	3	1	15	0	0	0	0	1
9	Carpenter	8	2	1	3	1	15	0	0	0	0	1
10	Painter(General)	6	1	0	2	1	10	0	0	0	0	0
11	Gardener	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
12	Florist & Landscaping	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
13	Pump Operator Cum Mechanic	10	3	1	5	1	20	0	0	1	0	1
14	Horticulture Assistant	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
15	Electronics Mechanic	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
16	Information & Communication technology System Maintenance	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
17	Computer Operator and Programming Assistant	22	8	3	12	5	50	1	0	0	1	2
18	Stenographer(Hindi)	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
19	Stenographer(English)	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
20	Apprentice Food Production (General)	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
21	Apprentice Food Production(Vegetarian)	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
22	Apprentice Food Production(Cooking)	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
23	Hotel Clerk /Receptionist	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
24	Digital Photographer	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25	Assistant Front Officer Manager	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
26	Computer Networking Technician	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
27	Creche Management Assistant	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
28	Secretarial Assistant	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
29	House Keeper	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
30	Health sanitary inspector	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

31	Dental Laboratory Technician	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
32	Material Handling Equipment Mechanic Cum Operator	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Grand Total		300	70	33	123	44	570	7	5	6	4	17

2.2 मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल.

एक्ट अपरेंटिस 2021-22 के लिए ट्रेड वार स्लॉट (भोपाल मंडल / पमरे)												
SN	Trade	UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	PwBD				Ex.SM
								HI	VI	LD	MD	
1	AC Mechanic	4	1	1	2	1	9	--	----	----	--	1
2	Black smith	5	3	1	5	2	16	1	---	----	--	1
3	Computer Operator cum Programming Assistant	21	10	5	17	7	60	1	1	1	--	7
4	Cable jointer	1	--	1	1	--	3	--	---	---	--	--
5	Carpenter	10	4	2	7	2	25	---	----	1	--	--
6	Diesel Mechanic	14	7	3	13	5	42	---	--	2	--	5
7	Draftsman (civil)	5	1	1	2	1	10	--	---	---	--	---
8	Electrician	74	30	15	55	20	194	2	1	5	--	2
9	Electronic mechanic	4	1	1	2	1	9	-	---	----	--	1
10	Fitter	39	22	11	39	15	126	2	2	2	--	15
11	Machinist	5	1	1	2	1	10	-	--	---	--	1
12	Mason	9	4	2	6	2	23	1	--	---	--	--
13	Painter	8	2	2	4	2	18	--	---	---	--	2
14	Steno Hindi	3	1	--	2	1	7	--	---	---	--	--
15	Steno English	3	1	--	2	1	7	--	---	----	--	--
16	Surveyor	4	1	1	2	1	9	-	----	--	--	1
17	welder	19	9	5	17	6	56	1	--	1	--	6

18	Wireman	9	4	2	7	2	24	--	--	1	--	-
	TOTAL	237	102	54	185	70	648	8	4	13	--	42

2.3 मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल.

एक्ट अपरेंटिस अधिसूचना ट्रेड वार स्लॉट 2021-22 (कोटा मंडल, पमरे)												
SN	Trade	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	PwBD				EX.SM
								HI	VI	LD	MD	
1	ELECTRICIAN	43	16	8	29	11	107	1	1	2	-	3
2	FITTER	44	17	8	30	11	110	1	1	2	-	3
3	WELDER (ELE.&GAS)	14	5	2	9	3	33	-	-	1	-	1
4	PAINTER (GEN.)	23	9	4	16	6	58	1	-	1	-	2
5	MASON	23	9	4	16	6	58	1	-	1	-	2
6	CARPENTER	25	9	5	17	6	62	1	-	1	-	2
7	ELECTRONICS	19	7	3	12	5	46	1	-	1	-	1
8	PLUMBER	23	9	4	16	6	58	1	-	1	-	2
9	BLACKSMITH	23	9	4	16	6	58	1	-	1	-	2
10	WIREMAN	11	4	2	8	3	28	-	-	1	-	1
11	COMPUTER OPERATOR CUM PROGRAMMING ASSISTANT	10	3	1	5	1	20	-	-	1	-	1
12	MACHINIST	3	2	1	3	1	10	-	-	-	-	-
13	TURNER	1	0	0	1	0	2	-	-	-	-	-
14	DRAFTSMAN	2	0	0	1	0	3	-	-	-	-	-
15	Stenographer(Hindi)	4	0	0	1	0	5				-	
16	Stenographer(English)	4	0	0	1	0	5				-	
	TOTAL	260	98	46	178	66	663	8	2	13	-	20

2.4 वैगन मरम्मत शॉप कार्यालय, पश्चिम मध्य रेल, कोटा कारखाना.

SN	Trade	UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	PwBD				Ex.SM
								HI	VI	LD	MD	
1	Fitter	29	10	5	19	7	70	1	1	0	-	2
2	Welder (GAS & Electric)	26	10	5	18	7	66	1	0	1	-	2
3	Computer Operator Cum Programming Assistant	2	0	0	1	0	3	0	0	0	-	0

4	Painter	4	2	1	3	1	11	0	0	0	-	0
5	Machinist	3	2	1	3	1	10	0	0	0	-	0
	Total	64	24	12	44	16	160	2	1	1	-	4

2.5 मालडिब्बा मरम्मत वैगन शॉप कार्यालय, भोपाल कारखाना

SN	Trade	UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	PwBD				Ex.SM
								VI	HI	LD	MD	
1	Fitter	20	6	3	12	4	45	0	0	2	0	1
2	Computer Operator Cum Programming Assistant	5	1	-	2	-	8				-	-
3	Draftsman (Mechanical)	1	-	-	-	-	1				-	-
4	Draftsman (Civil)	1	-	-	-	-	1				-	-
5	Carpenter	10	3	1	5	1	20			1	-	1
6	Sewing Technology (Cutting & Tailoring)	4	-	-	1	-	5				-	-
7	Plumber	5	1	-	2	-	8				-	-
8	Welder	13	4	2	7	2	28			1	-	1
9	Painter (General)	5	-	-	1	-	6				-	-
10	Industrial Painter	3	-	-	1	-	4				-	-
11	Mechanic (Motor Vehicle)	3	-	-	1	-	4				-	-
12	Mechanic (Diesel)	4	-	-	1	-	5				-	-
13	Mechanic (Tractor)	2	-	-	-	-	2				-	-
14	Machinist	2	-	-	-	-	2				-	-
15	Turner	3	-	-	-	-	3				-	-
16	Stenographer Cum Secretarial Assistant (Hindi)	3	-	-	-	-	3				-	-
17	Stenographer Cum Secretarial Assistant (English)	3	-	-	-	-	3				-	-
18	Electrician	9	2	1	4	1	17		1		-	1
	Total	96	17	7	37	8	165	0	1	4	0	4

2.6 पमरे/मुख्या/जबलपुर

SN	Trade	UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	PwBD				EX.S M
								VI	HI	LD	MD	
1	Computer Operator and Programming Assistant (COPA)	07	02	01	03	01	14	-	-	-	-	-
2	Steno/Hindi	02	01	01	01	01	06	-	-	-	-	-
	Total	09	03	02	04	02	20	-	-	-	-	-

*PwBD:-Persons with Benchmark Disabilities, #ESM:- Ex-Servicemen.

ध्यान दें : (i) उपरोक्त तालिकाओं में पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिकों की सीटें अलग-अलग नहीं हैं, लेकिन प्रावधान के अनुसार कुल सीटों में शामिल हैं।

- (ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार निर्धारित संख्या में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित प्रशिक्षण स्लॉट को दोनों समुदायों के उम्मीदवारों, यदि उपलब्ध हो तो, द्वारा भरा जा सकता है और यदि निर्धारित प्रशिक्षण स्लॉट उपरोक्त तरीके से भी नहीं भरे जा सकते हैं, तो खाली पड़े हुए प्रशिक्षण स्लॉट ऐसे उम्मीदवारों द्वारा भरे जा सकते हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नहीं हैं। इसी तरह, ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के खाली रह गई सीटों को अनारक्षित श्रेणी से भरा जा सकता है।
- (iii) भूतपूर्व सैनिकों, उनके बच्चों और सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अप्रेंटिशशिप के लिए इंगेजमेंट किया जाएगा:

क) मृतक/विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे जिनमें शांति युद्ध काल के दौरान मारे गए/विकलांग भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं।

ख) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे

ग) सेवारत जवानों के बच्चे

घ) सेवारत अधिकारी के बच्चे

ई) भूतपूर्व सैनिक

3. पात्रता की शर्तें: आयु (आयु सीमा 01/01/2022 के अनुसार)

3.1 उम्मीदवार की आयु कट-ऑफ़ अधिसूचना तिथि को 15 वर्ष पूरी होनी चाहिए तथा 24 वर्ष से कम होनी चाहिए।

3.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के मामले में 03 वर्ष की छूट दी गई है।

3.3 दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है।

- 3.4 भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में रक्षा बलों में की गई सेवा की सीमा तक अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट के साथ और 03 वर्ष की छूट दी जाएगी बशर्ते कि वे कम से कम लगातार 06 महीने की सेवा दे चुके हों। इसमें वे भूतपूर्व सैनिक छूट के पात्र नहीं हैं जो नियुक्ति के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक होने का लाभ उठाते हुए पहले से ही शासकीय नागरिक सेवा में शामिल हो गए हैं।
- 3.5 जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय नमूना अनुलग्नक-I के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी केंद्र सरकार के प्रारूप पर अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह, जो उम्मीदवार ओबीसी के आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय नमूना अनुलग्नक- II के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी केंद्र सरकार के प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र और गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओबीसी प्रमाणपत्र इस अधिसूचना के समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- 3.6 जो उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र बल कार्मिकों के आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सेवामुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों और सशस्त्र बल कार्मिकों के बच्चों के मामले में, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय क्रमशः अपने माता-पिता का सेवामुक्ति प्रमाणपत्र या सशस्त्र बल सेवा प्रमाणपत्र (जैसा भी मामला हो) प्रस्तुत करना होगा।

4. पात्रता की शर्तें: न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10 वीं की परीक्षा या इसके समकक्ष (10 + 2 परीक्षा प्रणाली के तहत) उत्तीर्ण होना चाहिए और एनसीवीटी / एससीवीटी द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में नेशनल ट्रेड प्रमाणपत्र भी होना चाहिए।

ध्यान दें: अधिसूचना जारी होने की तिथि को उम्मीदवारों के पास निर्धारित योग्यता होनी चाहिए।

5. अप्रेंटिस के रूप में नियुक्ति के लिए बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार के लिए पात्रता

- 5.1 केवल लोको मोटर या सेरेब्रल पाल्सी (ओएच) जो संबंधित विकलांगता में कम से कम 40% से पीड़ित हैं तथा श्रवण विकलांग (एचएच) जिनके बेहतर कान में आवृत्ति की संवादी सीमा में श्रवण क्षमता 60 डेसिबल या उससे अधिक है आवेदन करने के पात्र हैं।
- 5.2 बशर्ते यह भी कि प्रत्येक ट्रेड के सामने उल्लिखित अधिकतम विकलांगता हेतु निम्नलिखित ट्रेडों के लिए विकलांग उम्मीदवार के मामले में फिटनेस के मानक में छूट दी जाएगी: -

ट्रेड	विकलांगता आवश्यकता
इलेक्ट्रीशियन	केवल एक ओर का निचला अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त उम्मीदवार को समायोजित किया जा सकता है

वैल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक)	बिना पैर और एक हाथ की बिना तीन अंगुलियों के उम्मीदवार को समायोजित किया जा सकता है
मशीनिस्ट	केवल छोटी उंगली से क्षतिग्रस्त उम्मीदवार को समायोजित किया जा सकता है
पेंटर (सामान्य)	एक ऊपरी और निचले अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त उम्मीदवार को समायोजित किया जा सकता है।
फिटर	एक तरफ का निचले अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त उम्मीदवार को समायोजित किया जा सकता है
कारपेंटर	एक ऊपरी और निचले अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त उम्मीदवार को समायोजित किया जा सकता है
इलेक्ट्रॉनिक्स	बिना पैरों या पैर के उम्मीदवार समायोजित किया जा सकता है
ड्राफ्ट्समेन (यांत्रिक)	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दोनों पैरों के बिना या बिना एक पैर और ऊपरी बाएँ अंग के बिना उम्मीदवार को समायोजित किया जा सकता है
मैकेनिक (मोटर वाहन)	ऊपरी अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त (छोटी उंगली और अनामिका) उम्मीदवार को समायोजित किया जा सकता है। केवल एक तरफ का निचला अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त उम्मीदवार को समायोजित किया जा सकता है।
टर्नर	एक तरफ से निचले अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त को समायोजित किया जा सकता है
शीट मेटल	दोनों निचले अंगों से क्षतिग्रस्त को समायोजित किया जा सकता है
रेफ्रिजेशन एवं ए.सी . मैकेनिक	केवल एक निचले अंग आंशिक रूप से काम कर रहे को समायोजित किया जा सकता है। प्रत्येक हाथ की छोटी उंगली से क्षतिग्रस्त को समायोजित किया जा सकता है।
प्लम्बर	पैर और हाथ की एक या दो अंगुलियों बिना को समायोजित किया जा सकता है।

5.3 कम दृष्टि (दृष्टि क्षति)

"कम दृष्टि वाले व्यक्ति" का अर्थ है उपचार या मानक अपवर्तक सुधारों के बाद भी दृश्य कार्यप्रणाली में कमी वाला व्यक्ति, लेकिन उपयुक्त सहायक उपकरण के साथ किसी कार्य की योजना बनाने या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या करने में संभावित रूप से सक्षम है।

5.4 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) जो आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें एक सक्षम प्राधिकारी (अर्थात केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड) द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.5 उपर्युक्त उल्लेखित बेंचमार्क विकलांग वाले (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवार पीडब्ल्यूबीडी के रूप में आवेदन न करें, वे ऐसी रियायतों/सुविधाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।

6. चयन का तरीका:

6.1 उम्मीदवारों का चयन इस अधिसूचना के विरुद्ध आवेदन करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए तैयार किए गए मेधा सूची के आधार पर होगा। मेधा सूची 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत) में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

6.2 इस प्रकार सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को अधिसूचित रिक्तियों के 1.5 गुना की सीमा तक दस्तावेज़/प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

6.3 दो उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में, अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यदि जन्म तिथि भी समान है, तो पहले मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार पर पहले विचार किया जाएगा।

6.4 अंतिम मेधा सूची यूनिटवार, ट्रेडवार और समुदायवार तैयार की जाएगी जो कि उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अवरोही क्रम में स्लॉट की संख्या के बराबर होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

6.5 अंतिम रूप से सूचीबद्ध उम्मीदवारों की उम्मीदवारी मूल प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा।

7. आवेदन कैसे करें:

7.1 आवेदन शुल्क:

उम्मीदवार नीचे उल्लिखित राशि आवेदन शुल्क के रूप में जमा करें:

क्रमांक	श्रेणी	जमा की जाने वाली राशि/शुल्क
i)	नीचे दिए गए (ii) में उल्लिखित उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए	100/- (केवल एक सौ)।
ii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), महिला	शून्य

7.2 परीक्षा शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया: -

- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/ई वॉलेट आदि का उपयोग करके सिस्टम पर मांगी गई जानकारी देकर भुगतान किया जा सकता है।
- ऑनलाइन भुगतान/धनवापसी के लिए लेनदेन शुल्क, यदि कोई हो, तो उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा।
- यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो फिर से लॉगिन करें एवं भुगतान करें।

7.3 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले वे निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपने पास तैयार रखें:

7.3.1 फोटोग्राफ और हस्ताक्षर (जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप जिसका फाइल आकार 20kb - 50kb हो)

- i) हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो जिसमें उम्मीदवार के चेहरे के सामने का दृश्य स्पष्ट हो तथा पिक्सेल आकार 100 x 120 हो।
- ii) नमूना हस्ताक्षर जिसका पिक्सेल आकार 160 x 70 हो।

7.3.2 प्रमाण पत्र (पीडीएफ प्रारूप जिसमें फ़ाइल का आकार 50kb-200kb हो) :

- i) दसवीं कक्षा की अंकसूची
- ii) दसवीं कक्षा का उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र
- iii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस के लिए सामुदायिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- iii) पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
- iv) एनसीवीटी / एससीवीटी द्वारा जारी आईटीआई प्रोविजनल और अंकसूची

7.4 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

7.4.1 उम्मीदवारों को www.wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा (Path – About us->Recruitment->Railway Recruitment Cell->Engagement of Act Apprentices for 2021-22)

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

7.4.2 उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा तथा व्यक्तिगत विवरण / बायो-डेटा इत्यादि सावधानी से भरना होगा।

नोट-I: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि ठीक वही हो जो कि मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पाए जाने वाले किसी भी विचलन से उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और डिबारमेंट भी कर दिया जाएगा।

नोट- II: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आईडी दर्ज करें और उन्हें पूरी नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान एक्टिव रखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण संदेश ईमेल / एसएमएस द्वारा भेजे जाएंगे और माना जाएगा कि इन्हें उम्मीदवारों द्वारा पढ़ा गया है।

7.5 उम्मीदवार अपनी प्राथमिकता देकर एक यूनिट से अधिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने आईटीआई ट्रेड के अनुसार उपलब्ध प्रशिक्षण स्लॉट को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए और तदनुसार इकाइयों का चयन करना चाहिए। ऐसा न हो कि चयनित इकाई में उस आईटीआई ट्रेड के लिए कोई प्रशिक्षण स्लॉट उपलब्ध ही ना हो। ऐसी स्थिति में उनका आवेदन अंततः निरर्थक हो जाएगा, उम्मीदवार अपने ट्रेड के लिए सभी उपलब्ध यूनिट का विकल्प चुन सकता है और अपनी प्राथमिकताएं जमा कर सकता है। उनकी योग्यता स्थिति के अनुसार दिए गए प्राथमिकताओं विचार किया जाएगा।

7.6 उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट रखना होगा। यदि वे योग्य पाए जाते हैं, तो उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज़ सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

नोट: अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें।

8. अमान्य आवेदन:

निम्नलिखित कमियों/विसंगतियों या अनियमितताओं वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा:

- i) उचित स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के बिना आवेदन।
- ii) जन्म तिथि, शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता के संबंध में उचित प्रमाण पत्र के बिना आवेदन
- iii) जाति (एससी / एसटी / ओबीसी और ओबीसी घोषणा) प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र उपयुक्त प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किए जाने चाहिए।

iv) अन्य कोई अनियमितता मानी गई तो।

9. प्रशिक्षण अवधि और वजीफा

9.1 चयनित उम्मीदवार को निर्दिष्ट ट्रेड के लिए लागू अवधि के लिए प्रशिक्षु के रूप में इंगेज किया जाएगा और उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार उनके प्रशिक्षण के दौरान वजीफा का भुगतान किया जाएगा।

9.2 कोई छात्रावास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और अप्रेंटिशशिप अधिनियम 1961 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को अपने प्रशिक्षण के दौरान अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा।

10. प्रशिक्षण करार

नामित ट्रेड में अप्रेंटिशशिप का प्रशिक्षण शुरू होने से पहले, चयनित उम्मीदवार या, यदि वह नाबालिग है, तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के साथ अप्रेंटिशशिप का अनुबंध करना होगा।

11. मेडिकल फिटनेस

समय-समय पर संशोधित अप्रेंटिश अधिनियम, 1961 और अप्रेंटिशशिप नियम, 1992 के तहत चयनित उम्मीदवार प्रशिक्षण के पात्र होगा। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-III) में सरकारी अधिकृत चिकित्सक (राजपत्रित) जो कि केंद्रीय / राज्य अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे का न हो, द्वारा हस्ताक्षरित एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. हेल्प डेस्क

आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने और प्रिंट आउट लेने के दौरान किसी भी सहायता के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित हेल्प लाइन नंबर पर सुबह 09 बजे से शाम 06 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश और रविवार को छोड़कर) कॉल कर सकते हैं: 08125930726

वे rrc.jblpr2021@gmail.com पर ईमेल भी भेज सकते हैं

13. महत्वपूर्ण निर्देश

13.1 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति और चयन के तरीके से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

13.2 यह अधिसूचना विशुद्ध रूप से अप्रेंटिशशिप प्रशिक्षण देने के लिए है न कि रोजगार के लिए।

13.3 किसी भी रूप में अनुयाचन करने से उम्मीदवारी अयोग्य हो जाएगी और इस मामले में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 13.4 आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं, और अगर किसी प्रकार की गलती से इंगेज हुए हैं, तो इंगेजमेंट के किसी भी स्तर पर ऐसे उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना के सरसरी तौर पर बर्खास्त कर दिया जाएगा।
- 13.5 उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि रेलवे प्रशासन द्वारा यह पाया जाता है कि आवेदक ने गलत/फर्जी प्रमाण पत्र/झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, तो रेलवे प्रशासन के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्रशिक्षण के लिए चयन के बाद भी किसी भी स्तर पर बिना किसी सूचना के उम्मीदवार/चयनित उम्मीदवार को निकाल सकता है।
- 13.6 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार को कोई दैनिक भत्ता / वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 13.7 नियुक्ति (इंगेजमेंट) के लिए चयन के बाद, यूनिट बदलने हेतु उम्मीदवार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 13.8 चयनित उम्मीदवारों की सूची जिन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें आरआरसी डब्ल्यूसीआर की वेबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in पर अपलोड किया जाएगा **(Path – About us->Recruitment->Railway Recruitment Cell->Engagement of Act Apprentices for 2021-22)**

नोट : किसी भी संशय की स्थिति में अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

अध्यक्ष
रेल भर्ती प्रकोष्ठ
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST

This is to certify that Shri*/ Smt/ Kumari* son/daughter* of
..... Village/Town

.....District/Division*.....of

the.....State/Union Territory* belongs to the Caste*/Tribe which is recognised as
a Scheduled Caste / Scheduled Tribe under:-

*The Constitution Scheduled Castes Order 1950.

*The Constitution Scheduled Tribes Order 1950.

*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) (Part C States) Order 1951;

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) (Part C States) Order 1951;

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order 1956, the Bombay Re-organisation Act 1960, the Punjab Re-organisation Act 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders, (Amendment) Act 1976]

The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Orders, 1956

The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled

*Tribes Orders (Amendment) Act, 1976

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes, Order, 1962

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Orders, 1964

*The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

*The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.

*The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990

*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991

*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996

*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002

*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.

*The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.

2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Srimati*.....father/mother*of Shri/Srimati/Kumari..... of Village/Town* in District/Division*.....of the State/Union Territory*.....who belongs to the.....Caste*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe in the Station/ Union Territory* issued by the dated

3. Shri/Srimati/Kumari* and /or* his/her* family ordinarily resides in Village/Town* District/ Division* of the State/ Union Territory*of.....

Place.....

Signature.....

Date.....

Designation.....

(with seal of Office)

State/ Union Territory.....

* Please delete the words which are not applicable.

@ Please quote the specific presidential order.

% Delete the Paragraph, which is not applicable

Note: (a) The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. Officers competent to issue Caste/Tribe certificates.

1. District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner. 2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate. 3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar. 4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his / her family normally reside(s). 5. Certificates issued by Gazetted Officers of the Central or of a State Government Countersigned by the District Magistrate concerned. 6. Administrator/Secretary to Administrator (Laccadive, Minicoy and Admindivi Islands).

OBC CERTIFICATE FORMAT

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari.....son/daughter of
..... of Village/Town in District/ Division
.....in the State/ Union Territory..... belongs to the
..... community which is recognised as a Backward Class under the Government of India,
Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No.
Dated.....*.

Shri/Smt./Kum.* and/or his/her family ordinarily reside(s) in
the.....District/Division of the State/Union
Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy layer) mentioned in
column 3 (of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No. 36012/22/93-
Estt(SCT), dated 8.9.1993 and modified vide Government of India, Department of Personnel and Training
O.M.No.36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27.05.2013 and 13.09.2017**

Date:

**DISTRICT MAGISTRATE /
DY. COMMISSIONER ETC.**

(Seal)

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which
the caste of the candidate as OBC.

** As amended from time to time.

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People
Act, 1950.

DECLARATION**Proforma for declaration to be submitted by Other Backward Class Candidates
at the time of document verification, who had applied for the posts**

"I, ... son/daughter of Shri
..... resident of Village/Town/City
..... district State
..... hereby declare that I belong to the (indicate your sub
caste) community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of
reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum
No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections
(Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated
08.03.1993 and its subsequent revision through O.M.No.36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27.05.2013 and
13.09.2017.

Place:

Signature of the Candidate

Date:

Name of the candidate

Government of _____
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS (EWS)

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri / Smt./ Kumari _____
son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____,
Village/Street _____ Post _____ Office _____ District _____
_____ in the State/Union Territory _____ Pin Code _____

whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her –family** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____
_____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Recent Passport size
Attested Photograph of the
Applicant

Signature with seal of

Office _____

Name _____

Designation _____

***Note 1:** Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

****Note 2:** The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

*****Note 3:** The property held by a 'Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS

The medical certificate should be signed by Government authorized Doctor (Gaz.), not below the rank of Asst. Surgeon of Central/State Hospital.

1. Name (in Block letters).....S/D of

2. Age....., Height....., Weight....., Chest Expansion.....

3. Vision in each Eye:

4. Hearing in both ears:

5. Skin Whether any evidence of acute or chronic skin disease or chronic ulceration.

6. Speech

7. Alimentary System. a) Sugar in Urine....., b) Hernia/Hydrocele/Piles.....

c) Remarks, if any other disorder found

8. Cardio Vascular System a) Blood Pressure.....b) Remarks, if any other disease is found..

9. Respiratory System

10. Genito Urinary System

11. Skeletal System

12. Nervous System

13. Glandular System: Whether any evidence of tuberculosis/ or other disease of the glandular system including endocrine glands. :.....

I certify that I have examined Mr/Ms
..... son/daughter
er

of The standard of physical fitness has been checked as per SCHEDULE-II (Rule-4) of Apprentices Rules 1992. He/She is physically fit for being engaged as an apprentice in a Trade.....under the Apprentices Act 1961.

Signature of the candidate

Signature of the medical Officer
With legible seal